country. In addition, Farm Forestry and Agro-Fofestry are being promoted out side the forest areas.

बड़े बन्दरगाहों के कार्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना

*118. **डा. बापू कालदाते :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बड़े बंदरगाहों के कार्यों में गैर-सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बंदरगाहों पर अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपी जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) स्टीवडोरिंग क्लीअरिंग और माल भेजने जैसे कुछेक पत्तन कार्यों में निजी क्षेत्र की सहभागिता पहले से ही प्रचलित है । और कुछ पत्तनों में, कुछ कार्गो हैंडलिंग उपकरण निजी क्षेत्र द्वारा सप्लाई तथा प्रचालित किए जाते हैं ।

(ख) और (ग) पत्तनों से कहा गया है कि अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करते समय भी निजी क्षेत्र की सहभागिता की संभावना की भी जांच की जाए । प्रत्येक मामले की उसके गुणावगुण के आधार पर जांच की जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों द्वारा समय की पाबन्दी का पालन

*119. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में अधिकांश डाक्टर और अन्य कर्मचारी समय की पाबंदी नहीं बरतते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम.एल. फोतेदार) : (क) समय पाबंदी का आम तौर पर डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों दोनों द्वारा पालन किया जाता है । तथापि, ऐसे दृष्टांत हुए हैं जहां कर्मचारियों ने समय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है । ऐसा मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के मामले में हुआ है जिन्हें सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करके लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है ।

(ख) औषधालयों में डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों के मामले में समय-पाबंदी का अनुवीक्षण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) औषधालयों में उपस्थिति रजिस्टर का रख-रखाव करना जिनमें डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों का आने और जाने का समय नोट किया जाता है ।

(ii) समय-पाबंदी को सुनिश्चित करने हेतु जोनल अपर निदेशकों द्वारा नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करना ।

(iii) डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को समय-पाबंदी का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करना ।

Development of Ladakh

*120. SHRIMATI KAMLA SINHA Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ladakh Buddhist Association has been demanding special attention to the developmental problems of Ladakh; and